न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध - 9205 - I/16

प्र0 क0 विविध —एक/16

मथुराप्रसाद ——— आवेदक

विरुद्ध

भगवानदास ——— अनावेदक

भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3032–एक/16 में दिनांक 04.10.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से पृष्ठ कमांक–3 में नीचे से लाइन नम्बर–4 में अनुविभागीय अधिकारी, जतारा का प्रकरण कमांक 112/अपील/2015–2016 एवं आदेश दिनांक 12/08/2016 टंकित नहीं किया गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक–3 के लाइन नम्बर–4 में अनुविभागीय अधिकारी, जतारा का प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 112/अपील/2015–2016 एवं आदेश दिनांक 12/08/2016 टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 18/10/16

स्थान– ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9205–एक/16 जिला –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। उनके द्वारा तर्क में बताया गया है राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 3032–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4.10.16 के आदेश के 2 पैरा में एक सर्वे न0 470 रकवा 0.533 के आगे सर्वे न0 465/1 रकवा 0.057 है0 छूट गया है, टंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे। एवं इसी प्रकार आदेश की नीचे से चौथी लाईन में अनुविभागीय अधिकारी जतारा का प्रकरण कमांक एवं आदेश दिनांक छूट गया है। उनके द्वारा अंकित करने का निवेदन किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सर्वे न0 470 रकवा 0.533 के आगे 465/1 रकवा 0.057 टंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है और (पढ़ा जावे) इसी प्रकार आदेश की नीचे की चौथी लाईन में अनुविभागीय अधिकारी जतारा का प्रकरण कमांक 112/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 टंकित किया जाता है। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	